राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– प्रशि0/जी.एन.एम./10/2419 दिनांक : 10/12/010

–विज्ञप्ती–

जी.एन.एम. प्रशिक्षण कोर्स 2010–11 में प्रवेश हेतु तृतीय काउन्सलिंग

जी.एन.एम. प्रशिक्षण कोर्स 2010–11 में प्रवेश के लिए प्रथम/द्वितीय काउन्सलिंग के बाद रिक्त रही सीटो पर प्रवेश के लिए तृतीय काउन्सलिंग हेतु निम्न श्रेणी/वर्ग के सम्मुख अंकित प्राप्ताक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियो को अपने मूल दस्तावेजों तथा **राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश की स्थिति में 180/– व निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश की स्थिति में 10000/– रूपये का डी.डी. जो रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौसिंल, जयपुर के नाम देय हो,** सहित प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन हेतु चयन समिति के सम्मुख **राजस्थान नर्सिंग कौसिंल भवन, बी–39 सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर** के यहाँ निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

क्र. स.	श्रेणी/वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दिनांक प्रातः 9:00 बजे
	राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु		
1	सामान्य महिला (अ.जा., अ.ज.जा,अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) शहरिया एवं सामान्य	बायलॉजी ग्रुप 65.600 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी (मात्र 5 सीट रिक्त)	28.12.2010
2.	अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग महिला	बायलॉजी ग्रुप 63.231 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी (मात्र 4 सीट रिक्त)	28.12.2010
3.	अ.जा. महिला	बायलॉजी ग्रुप 61.600 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी (मात्र 1 सीट रिक्त)	28.12.2010
4.	टी.एस.पी एस.टी (महिला)	बायलॉजी ग्रुप 54.00 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी (मात्र 2 सीट रिक्त)	28.12.2010
5	सामान्य पुरूष (अ.जा., अ.ज.जा,अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) शहरिया एवं सामान्य	बायलॉजी ग्रुप 73.077 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी (मात्र 1 सीट रिक्त)	28.12.2010
6	अन्य पिछडा वर्ग/वि.पि.व. पुरूष	बायलॉजी ग्रुप 72.00 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी (मात्र 2 सीट रिक्त)	28.12.2010
7	अ.ज.जा. पुरूष	बायलॉजी ग्रुप 70.600 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी (मात्र 1 सीट रिक्त)	28.12.2010
	निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु		
8	सामान्य महिला (अ.जा., अ.ज.जा,अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) शहरिया एवं सामान्य	अन्य विषय ग्रुप 54.800 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	28.12.10
9	महिला अन्य पिछडा वर्ग,/वि.पि.व	अन्य विषय ग्रुप 51.077 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	29.12.2010
10	अ.जा. महिला	अन्य विषय ग्रुप 51.600 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	29.12.2010
11	अ.ज.जा. महिला	अन्य विषय ग्रुप 51.000 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	29.12.2010

12	पुरूष वर्ग (अ.जा., अ.ज.जा,अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) शहरिया एवं सामान्य	बायलॉजी ग्रुप में 56.000 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	30.12.2010
13.	अ.पि.व.,/वि.पि.व. पुरूष	बायलॉजी ग्रुप 54.769 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	30.12.2010
14	अ.जा. पुरूष	बायलॉजी ग्रुप 54.000 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	30.12.2010
15	अ.ज.जा. पुरूष	बायलॉजी ग्रुप 52.769 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	30.12.2010

अन्य पि.व., वि.पि.व का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 6 माह से ज्यादा पुराना नही होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी का पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के नाम का नही।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रो में उक्त तालिका में दर्शित प्राप्तांक प्रतिशत तक प्रथम काउन्सलिंग/द्वितीय में चयनित अभ्यर्थीयो से उपर के प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे हो या आवंटन हो जाने के बाद ज्वाईन नही किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिये प्रतिक्षा सूची का प्रथम/द्वितीय काउन्सलिंग में विकल्प दिया हो, ऐसे अभ्यर्थी ही तृतीय काउन्सलिंग में उपस्थित होवे। इसी प्रकार निजी प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रवेश के लिये उपरोक्त प्राप्तांक प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले ऐसे अभ्यर्थी भी जो प्रथम/द्वितीय काउन्सलिंग में अनुपस्थित रहे हो या आवंटित केन्द्र पर ज्वाईन नही किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिये विकल्प दिया हो, तृतीय काउन्सलिंग में प्रवेश पा सकेगे।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 16.01.91 के नियम 8 (5) के अनुसार जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तबन पर पूर्ण प्रतिबंध है और अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्थान पर ही प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक है। अतः प्रथम/द्वितीय काउन्सलिंग में प्रवेशित जिन अभ्यर्थीयो ने अपने आवंटित राजकीय/निजी केन्द्रो पर ज्वाईन कर लिया है उन्हे तृतीय काउन्सलिंग में अनुमति देय नही होगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी तृतीय काउन्सलिंग में उपस्थित नही होवे।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को 180/- रूपये का डी.डी. जमा करवाना अनिवार्य होगा। निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेशित अभ्यर्थी को 10000/- रूपये का डी.डी. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौसिंल, जयपुर के नाम जमा कराना होगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुल फीस राशि 38000/- में से शेष राशि 28000/- हजार रूपये प्रवेशित संस्थान पर उपस्थिति देते समय अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजो के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ती कमांक 1110 दिनांक 25.05.10 के बिन्दु (डी-5) के अनुसार रूचि के केन्द्र में प्रवेश मिलने पर काउन्सलिंग कक्ष में सहमति व्यक्त करने के बाद तथा काउन्सलिंग समाप्त होने के **पश्चात यदि कोई अभ्यर्थि आवंटित केन्द्र पर प्रवेश नही लेगा/प्रशिक्षण को छोड देता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई अग्रिम राशि जब्त योग्य होगी। उक्त काउन्सलिंग में निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु निर्धारित राजकीय कोटे की सीटो की संख्या के पाँच गुना अभ्यर्थीयों को काउन्सलिंग हेतु बुलाया गया है। अतः यह आवश्यक नही है कि बुलाये गये सभी अभ्यर्थीयो का चयन हों।** काउन्सलिंग में आने वाले अभ्यर्थीयो को किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नही होगा।

(हस्ताक्षर)

(बी0के0 दोसी)
अति0 निदेशक (प्रशि0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर